राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 4(6)स्टे.मो.गै./2010 जयपुर, दिनांक : - 9 SEP 2016

आदेश

विषयः— राजकीय कार्य हेतु निवास से कार्यालय आने—जाने की वाहन सुविधा का उपयोग करने पर भुगतान की दरों में संशोधन बाबत्।

विभाग के आदेश क्रमांक प. 4(6)स्टे.मो.गै./2003 दिनांक 20.01.2004 के द्वारा वाहन के उपयोग हेतु अधिकृत पात्र अधिकारियों को आवंटित वाहन के लिये इस विभाग के आदेश क्रमांक प.4(6)स्टे.मो.गै./2010 दिनांक 28.09.2010 के द्वारा निवास से कार्यालय आने—जाने की वाहन सुविधा उपयोग करने पर संभागीय मुख्यालय (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर) के लिये रूपये 500/— प्रतिमाह तथा संभाग स्तर के अलावा अन्य स्थानों के लिए यह सुविधा रूपये 300/— प्रतिमाह भुगतान के आधार पर प्रदान की गयी थी। उक्त राशि को संशोधित किया जाकर संभागीय मुख्यालय (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर) के लिये रूपये 1000/— प्रतिमाह तथा संभाग स्तर के अलावा अन्य स्थानों के लिए यह सुविधा रूपये 500/— प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। उक्त आदेश में वर्णित शेष प्रक्रिया/शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 101603240 दिनांक 11.08.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जा रहा है। यह आदेश दिनांक 01.09.2016 से प्रभावी होंगे।

(मेघराज सिंह रतनू)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक आरक्षी, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
9. समस्त विभागाध्यक्ष।
10. निजी सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. निजी सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
13. निजी सचिव/विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, सरकारी मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
15. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
20. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग/पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव